



डॉ राममनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

संख्या : लो०अ०वि० / सम्ब० / 2020 / 1802

दिनांक : 04/06/2020

सेवा में

1. प्र० सुधीर अग्रवाल, विभाग—वायोकेमेस्ट्री, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
2. डॉ आर०प० सिंह विभाग—कैमेस्ट्री, कै०एन०आई०पी०एस०एरा०, सुलतानपुर।
3. डॉ कै०सी० वर्मा, प्राचार्य, राजकीय डिग्री कालेज, गुराक्षिरखाना, अमेठी।

—आचार्य
—विशेषज्ञ सदस्य
—सदस्य / सचिव

विषय— सम्बूद्ध स्मारक महाविद्यालय भागीपुर, फैजाबाद को स्नातक स्तर पर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत बी०एस—सी पाठ्यक्रम में भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान, जन्तुविज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित विषयों में स्वविल्पितोषित योजना के अन्तर्गत सत्र 2020-21 से सम्बद्धता (अत्थाइ) प्रदान करने हेतु महाविद्यालय का निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में है।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि उक्त महाविद्यालय के प्रबन्धक के प्रेषित प्रस्ताव के अनुरोधानुसार वर्णित पाठ्यक्रम के विषयों में सम्बद्धता प्रदान करने हेतु माननीय कुलपति जी ने आपको महाविद्यालय के निरीक्षणार्थ निरीक्षक मण्डल का सदस्य नामित करने की कृपा की है।

अतः आप से अनुरोध है कि संलग्न प्रारूप के अनुसार महाविद्यालय का स्थलीय निरीक्षण कर अपनी निरीक्षण आख्या दो प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यह भी सूच्य है कि निरीक्षक मण्डल द्वारा एक साथ एक ही तिथि में महाविद्यालय का निरीक्षण किया जायेगा। निरीक्षक मण्डल के सदस्य महाविद्यालय के सम्पूर्ण निर्मित गवन के साथ अपनी फोटो खिंचायेंगे, जिसे हस्ताक्षर सहित निरीक्षण आख्या में संलग्न किया जायेगा। सम्पूर्ण निरीक्षण की निरीक्षक मण्डल के सदस्यों के साथ वीडियोग्राफी करायी जाये, जिसमें महाविद्यालय का पूर्ण गवन चहारदीवारी, गेट, शिक्षण कक्षों, प्रयोगशाला कक्षों (उपकरणों सहित) अनुगोदित शिक्षकों एवं मानकानुसार वाहित अन्य अवस्थापना सुविधाओं की रिकार्डिंग सम्भिलित हो तथा निरीक्षण मण्डल की आख्या के साथ सम्पूर्ण निरीक्षण की दो सी०डी० भी प्रेषित की जाय। (सूर्योस्त के पश्चात किसी भी दशा में निरीक्षण कार्य न किया जाए)

निम्न विन्दुओं पर निरीक्षक मण्डल द्वारा अपनी निरीक्षण आख्या देना अनिवार्य है—

1. महाविद्यालय को संवालित करने वाले समिति के पंजीकरण एवं वैधता की विधि।
 2. महाविद्यालय की मानकानुसार भूमि महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित होने से संबंधित खत्तौनी मूलरूप में या छायाप्रति तहसीलदार/उपजिलाधिकारी से प्रमाणित होने की स्थिति।
 3. महाविद्यालय की भूमि के समस्त गाटों का संयुक्ता प्रमाण पत्र सक्षम राजरव अधिकारी से प्रमाणित एवं नजरी नक्शा मूलरूप में सधम राजस्व अधिकारी से प्रमाणित होने की स्थिति, महाविद्यालय के नाम राजरव अभिलेखों में अंकित भूमि का विवरण गाटाओं एवं क्षेत्रफल सहित अंकित किया जाए।
 4. महाविद्यालय को प्रश्नगत पाठ्यक्रम में अनापति प्रदान किये जाने के आदेश संख्या एवं तिथि, अंकित की जाए तथा महाविद्यालय को दी गयी अनापति जिसमें गाटों का उल्लेख किया गया है, क्या उसी गाटों पर महाविद्यालय निर्मित है अथवा नहीं।
 5. महाविद्यालय नगर नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायत ने अवरिधित होने की स्थिति में संदर्भगत निकाय के सक्षम अधिकारी का मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध होने की स्थिति।
 6. सोसायटी/द्रस्ट की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र तथा संस्था की विगत तीन वर्षों की सी०ए० द्वारा प्रमाणित बैलेस सीट अन्यथा की स्थिति में तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।
 7. मानकानुसार सोसायटी/महाविद्यालय के बहत खाते में अद्यतन जमा धनराशि।
 8. मानकानुसार प्रागृह्य धनराशि जमा होने की स्थिति।
 9. प्रबन्ध तंत्र के द्वारा आवेदन पत्र में अंकित विवरण/प्रविष्टियां तथ्यों पर आधारित एवं सही हैं का 50 रुपये के स्टाम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र मूल रूप में होने की स्थिति।
 10. स्नातकोत्तर विषयों हेतु यूजी०डी० की धारा 2४क में पंजीकृत होने की स्थिति।
 11. महाविद्यालय में पूर्व संचालित पाठ्यक्रम व विषयों की स्थायी सम्बद्धता प्राप्त होने की स्थिति तथा विगत तीन वर्षों का परीक्षाफल।
 12. पूर्व संचालित पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों हेतु शिक्षण कक्ष, प्रयोगशाला पुस्तकालय व अन्य अवस्थापना सम्बन्धी मानक पूर्ण होने की स्पष्ट स्थिति, कक्ष आदि के निमानुसार विवरण सहित—
 - f) महाविद्यालय में पूर्व संचालित पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों हेतु मानकानुसार व्याख्यान कक्ष/कक्षों की संख्या—संख्या अंकित की जाय।
 - g) महाविद्यालय में मानकानुसार पुस्तकालय, अव्यापक कक्ष, छात्र-छात्रा कक्ष, प्रशासनिक कक्ष, प्राचार्य कक्ष, परीक्षा एवं मीटिंग कक्ष, शौचालयों, पेयजल तथा चहारदीवारी आदि के निर्मित होने की स्थिति।
 - h) कर्नीचर एवं पुस्तकों की व्यवस्था की स्थिति।
 - i) प्रायोगिक पाठ्यक्रम/विषय होने की स्थिति में सम्बंधित प्रयोगशालाएं, स्थापित होने एवं उसमें पर्याप्त उपकरण/संयत्र होने की स्थिति (प्रयोगशाला की संख्या सहित) मानकानुसार जल निकास व्यवस्था, गैस लाइन, सिंक इत्यादि होने की स्पष्ट आख्या।
 - j) मानकानुसार शिक्षकों के विश्वविद्यालय के द्वारा अनुमोदन एवं नियुक्ति की संविदा अवधि।
13. याचितपाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों हेतु शिक्षण कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय व अन्य अवस्थापना सम्बन्धी मानक पूर्ण होने की स्पष्ट स्थिति, कक्ष आदि के निमानुसार विवरण सहित—
 - c) महाविद्यालय में याचित पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों हेतु मानकानुसार व्याख्यान कक्ष/कक्षों की संख्या—संख्या अंकित की जाय।
 - d) महाविद्यालय में मानकानुसार पुस्तकालय, अव्यापक कक्ष, छात्र-छात्रा कक्ष, प्रशासनिक कक्ष, प्राचार्य कक्ष, परीक्षा एवं मीटिंग कक्ष, शौचालयों, पेयजल तथा चहारदीवारी आदि के निर्मित होने की स्थिति।
 - g) कर्नीचर एवं पुस्तकों की व्यवस्था की स्थिति।
 - h) प्रायोगिक पाठ्यक्रम/विषय होने की स्थिति में सम्बंधित प्रयोगशालाएं, स्थापित होने एवं उसमें पर्याप्त उपकरण/संयत्र होने की स्थिति



डा० राममनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

(प्रयोगशाला की संख्या सहित) मानकानुसार जल निकास व्यवस्था, मैस लाइन, सिंक इत्यादि होने की स्पष्ट आवधि।

e) मानकानुसार शिक्षकों के विश्वविद्यालय के द्वारा अनुमोदन एवं नियुक्ति की सविधा अवधि।

14. महाविद्यालय में कम्प्यूटर कक्ष, कम्प्यूटर उपकरण, यू०पी०एस०, सी०पी०य० आदि के साथ इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध होने की विधि।
15. प्रबन्ध समिति के गठन व अनुमोदन की विधि।
16. निरीक्षण मण्डल के सदस्यों के साथ भवन का फोटोग्राफ, चढ़ावरीबारी निर्मित होने का प्रमाण पत्र, व्याख्यान कद्दों, पुरतकालय एवं प्रयोगशाला के सुशोधित होने का निरीक्षण दल के साथ रप्ट फोटोग्राफ व फोटो पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर उपलब्ध होने की विधि।
17. सामूहिक नकल का आरोप न होने की विधि(प्रमाण संलग्न करें)।
18. नियुक्ति अनुमोदित प्राचार्य एवं अध्यापकों के बैठना भूगतान बैंक के द्वारा किये जाने की विधि।
19. नैशनल विल्डिंग कोड-2005 के अनुसार महाविद्यालय का भवन निर्मित होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र अधिसारी अधियन्ता लोक निर्माण विभाग अथवा अधिसारी अधियन्ता ग्रामीण अधियन्त्रण रोडो का ही एवं अग्रिंशमन की मानकानुसार व्यवस्था होने के सम्बन्ध में अद्यावधिक प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय।
20. निरीक्षक मण्डल के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से शासनादेश के अनुरूप अप्लाईकेंग निरीक्षण आख्या के अन्त में दी जायेगी।
21. निरीक्षण मण्डल के सदस्यों द्वारा सम्बद्धता प्रदान करने हेतु की गयी रप्ट संस्कृति (रथाई अथवा अस्थाई)।

उपरोक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता (रथाई) के आवेदन की विधि में अनुमोदित प्राचार्य एवं शिक्षकों का सामूहिक हस्ताक्षरित छायाचित्र प्रदर्शक / सविधि के साथ तथा वीडियोप्राप्ति की सी०ल०० को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

सन्दर्भित महाविद्यालय की निरीक्षण आख्या शासनादेश संख्या 710/सत्तर-2-2014-16(165)/2012टी०सी० दिनांक 14 नवम्बर 2014 के द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्दर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। निरीक्षण के उपरान्त अधिकतम 03 कार्य दिवसों की अवधि में निरीक्षण आख्या/रिपोर्ट/सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निरीक्षण न किये जाने की विधि में तत्सम्बन्धी आख्या/सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। निरीक्षण हेतु निरीक्षण मण्डल के सदस्य/सदस्यों के महाविद्यालय पहुंचकर निरीक्षण आख्या/सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। निरीक्षण में सहयोग करने/राहयोग न करने/बाद में निरीक्षण का अनुरोध करने अथवा अन्य तथ्यों का स्पष्ट विवरण करने, महाविद्यालय द्वारा निरीक्षण में सहयोग करने/राहयोग न करने/बाद में निरीक्षण का अनुरोध करने अथवा अन्य तथ्यों का स्पष्ट विवरण करने, निरीक्षण आख्या में अकिञ्चित किया जायेगा। निरीक्षण सम्पन्न न हो पाने की विधि में भी निर्धारित बिन्दुओं पर आख्या निरीक्षक मण्डल/सदस्य द्वारा निरीक्षण आख्या में अकिञ्चित किया जायेगा। महाविद्यालय द्वारा निरीक्षण के लिए और अधिक समय मांगने के सम्बन्ध में लिखित साक्ष्य निरीक्षक मण्डल द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा तथा उनके प्रार्थना पत्र पर निरीक्षक मण्डल द्वारा सहमति की दशा में आगामी तिथि निरिचित की जायेगी। शासनादेश दिनांक 14 नवम्बर 2014 में निहित व्यवस्थानुसार सत्र का निर्धारण किया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि समयान्तर्गत निरीक्षण का दायित्व निरीक्षण मण्डल के सदस्यों एवं समयान्तर्गत निरीक्षण आख्या प्रस्तुत करने का दायित्व निरीक्षण मण्डल के सदस्य/सचिव (क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी अथवा नामित क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य) का है। निरीक्षक मण्डल/सदस्य द्वारा उक्त निर्देशों का पालन न करने की दशा में शासनादेश संख्या 968/सत्तर-6-2016-100(18)/2016 दिनांक 12 मई 2016 के निर्देशानुसार निरीक्षक मण्डल/सदस्य पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि निरीक्षक मण्डल के सदस्यों के समस्त व्यय जिसमें टी०ए०/डी०ए० एवं अन्य व्यय समिलित हैं का भूगतान विश्वविद्यालय द्वारा बहन किया जायेगा। निरीक्षक मण्डल इस आशय का भी एक प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेगा कि निरीक्षक मण्डल के किसी सदस्य/सदस्यों द्वारा महाविद्यालय से निरीक्षण हेतु विधिक रूप से अमान्य/नियमों के विपरीत कोई घनराशि नहीं ली गयी है। निरीक्षक मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या (निरीक्षण आख्या के अनुसार प्रपत्र/अग्निलेख संलग्न कर) क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी/राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य के माध्यम से विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

नोट-उल्लिखित बिन्दु संख्या 12 एवं 13 के सम्बन्ध में निरीक्षण मण्डल के द्वारा गमीरता से निरीक्षण कर पृथक-पृथक प्रविष्टि रप्ट रूप से स्वयं अकिञ्चित की जाये।

कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचाव सम्बन्धी भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश/एडवाइजरी के पूर्णतः पालन करते हुए सुरक्षात्मक उपायों के साथ निरीक्षण सम्पन्न किया जाएगा। यह निरीक्षण कोविड-19 के दृष्टिगत शासन/जिला प्रशासन के आवागमन शर्तों व अन्य प्रतिबन्धों के अधीन होगा।

भवदीय,

उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि:- 1. प्रबन्धक/सविधि (रामरूप रायरक महाविद्यालय भारीपुर ,फैजाबाद) को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया निरीक्षण मण्डल के सदस्यों से सम्पर्क रखापित कर महाविद्यालय का निरीक्षण कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें, निरीक्षण मण्डल को निरीक्षण में सहयोग प्रदान करने का कष्ट करे अन्यथा की विधि में समर्त उत्तरदायित्व महाविद्यालय का होगा। निरीक्षण होने सम्बन्धी सूचना अथवा अन्य सन्दर्भित सूचना तिथि सहित 03 कार्य दिवसों की अवधि में विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कोविड-19 से बचाव सम्बन्धी शासन की एडवाइजरी का अनुपालन करते हुए सुरक्षात्मक उपायों के साथ निरीक्षण की कार्यवाही सम्पन्न करायी जाएगी।

2. प्रोग्रामर, ई०टी०पी० सैल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति महाविद्यालय के लॉग-इन पर अपलोड करने का कष्ट करें।

Copy
उप-कुलसचिव